न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व मु.न. 05/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
फजलुद्दीन पुत्र श्री गफूर खां जाति मुसलमान निवासी बड़ली चरणा (कस्बा पोकरण) तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		1. श्रीमती अशरफ पत्नी हबीबुल्ला जाति मुसलमान हाल निवासी मदरसा इस्लाहुल मुसलमान धोरिया, बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चुरू 2. श्रीमती चुन्नी पत्नी प्रतापजी पुत्री नेनाराम के कायम मुकाम 2/1 प्रेमाराम पुत्र श्री प्रतापजी के कायम मुकाम 2/1/1 श्रीमती पारू पत्नी प्रेमाराम जाति माली निवासी पोकरण 2/1/2 हरचन्दराम पुत्र प्रेमाराम जाति माली निवासी मालियों का वास, पोकरण 2/2 रामसुखदास पुत्र प्रतापजी जाति माली निवासी मालियों का वास, पोकरण 3. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित :

1. श्री जहांगीर मलिक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मुल्तानाराम बारूपाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 2 (2/1/1, 2/1/2 एवं 2/2) व 3 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 13.02.2017**

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती चुन्नी पुत्री नेनाराम माली निवासी पोकरण ने ग्राम पोकरण के खसरा नम्बर 1278 में 75 बीघा कृषि भूमि का आवंटन उप जिलाधीश, पोकरण के आदेश दिनांक 17.06.1972 द्वारा करवाया है जबकि भूमि आवंटन के समय उसके पति के नाम 40 बीघा भूमि ग्राम पोकरण में दर्ज रही है जिस तथ्य को छिपाया जाकर मिलावट से भूमि आवंटन करवाया गया है। प्रार्थना पत्र में भूमि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं होने व बाहरी सरपंच को इसमें सम्मिलित करना आरोपित किया जाकर प्रश्नगत भूमि आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेशिका दिनांक 02.01.2012 द्वारा प्रश्नगत भूमि के आगामी तारीख पेशी तक बेचान हस्तांतरण नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाये रखना आदेशित किया गया, जिसे आदेशिका दिनांक 07.05.2012 द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.06.2012 तक बढाया गया।

प्रश्नगत भूमि की आवंटी श्रीमती चुन्नी की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में उसके विधिक उत्तराधिकारीगण उसके मृतक पुत्र प्रेमाराम की पत्नी श्रीमती पारू पुत्र हरचन्दराम एवं श्रीमती चुन्नी के द्वितीय पुत्र रामसुखदास को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया जो नोटिस तामील के

उपरांत भी अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण को समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का तर्क रहा कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 भाई–बहन का आपसी झगड़ा है जिससे आवेश में प्रार्थना पत्र लाया गया है। उनका आगे तर्क रहा कि उन्हें प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई गई है व प्रश्नगत भूमि के मूल आवंटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उसे नोटिस भी नहीं दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये प्रश्नगत भूमि क्रय की है, अतः उसका (क्रेता) कोई दोष नहीं है। प्रश्नगत भूमि आवंटन दिनांक 15.06.1972 का है व इतने लम्बे अंतराल के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया तथा संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। श्रीमती चुन्नी पुत्री नेनाराम माली निवासी पोकरण के आवेदन पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17.06.1972 में उसे ग्राम पोकरण के खसरा नम्बर 1278 में 75 बीघा भूमि का आवंटन किया गया इसका औपचारिक आदेश उप जिलाधीश, पोकरण द्वारा दिनांक 15.12.1972 को जारी किया गया है। अभिलेख में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में श्री रामपाल डाबी, उप जिलाधीश पोकरण, श्री भोपालसिंह, विधायक जैसलमेर, श्री उदयकिशन बोहरा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांकड़ा, मु0 पोकरण, तत्कालीन तहसीलदार पोकरण एवं श्री ब्रह्मदत पालीवाल, सरपंच ग्राम पंचायत लवां के उपस्थिति के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रश्नगत भूमि की मूल आवंटी श्रीमती चुन्नी पुत्री नेनाराम माली निवासी पोकरण है जिसके नाम नामान्तरण संख्या 749 दिनांक 29.07.1974 स्वीकार किया गया है। उक्त श्रीमती चुन्नी की मृत्यु पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण संख्या 1561 उसके पुत्रान प्रेमाराम व रामसुख पिसरान प्रतापजी माली निवासियान पोकरण के इक में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त प्रेमाराम व रामसुख पिसरान प्रतापजी द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय पंजीकृत विलेख के जरिये दिनांक 24.05.1983 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती असरफ पत्नी अब्दुल गफूर निवासी बीदासर को करने पर नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 15.07.1983 उक्त श्रीमती असरफ के नाम स्वीकृत किया गया है। तब से प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अभिलेख में दर्ज है। प्रकरण में मूल आवंटी श्रीमती चुन्नी पक्षकार के रूप में संयोजित रही जिसकी मृत्यु की सूचना पर उसके विधिक उत्तराधिकारीगण पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाना व उन्हें प्रकरण में नोटिस जारी होकर तामील होना अभिलेख पर है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि भूमि आवंटन में कोई ऐसी विधिक त्रुटि हुई है जिससे आवंटन शून्य हो जाता हो अथवा कोई छल, कपट किया जाकर तथ्य छुपाये जाकर नियम विरुद्ध आवंटन कराया गया हो।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं ठहरता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर